

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही लिखा जावे न
कि विद्यालयी अन्वय पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार कुछ तो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संपर्क हो।



ग्राम : दूर्वीवर्ती
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(नियमित)
2442462 (विभास)
फैक्ट्रा : (0091)-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ ५८७५

दिनांक : ५.६.१२

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22 मार्च 2012 के पद क्रमांक (13) के विर्णवानुसार कॉलेज ऑफ बर्सिंग साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्वालियर को सत्र 2010-11 के लिये प्रत्यावृत्त/संचालित एम.एस.-सी. बर्सिंग पाइथनज के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्त/प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य, शिक्षकों, ट्यूटर, लाइब्रेरी एवं स्पोर्ट आफीसर की नियुक्ति कोड 28(17) के अन्तर्गत कर तत्काल विश्वविद्यालय को सूचित करें।
2. आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन ने अपने पत्र में लिखा है, कि हॉस्टल की व्यवस्था करे लेकिन आपके द्वारा अभी तक हॉस्टल तैयार नहीं कराया गया। अतः इस शर्त को तत्काल पूरा कर शासन एवं विश्वविद्यालय को अवगत कराये।
3. शिक्षकों को वेतन चैक अथवा बैंक के माध्यम से करें।
4. लाइब्रेरी में रु. 50,000/- की मानक पुस्तकें क्रय करें।
5. 28(17) के अन्तर्गत यदि शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्राचार्य की नियुक्ति 2 माह के भीतर नहीं की जाती है तो सत्र 2012-13 की सम्बद्धता पर विचार न किया जाये।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, कॉलेज ऑफ बर्सिंग साइंसेज एण्ड रिसर्च, ग्वालियर
2. सचिव, इण्डियन नर्सिंग कॉर्सिल, ट्रैम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उपकुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि फिली अन्य प्राधिकारी के नाम से।
उन्नतविद्या विषय पर यहि भूर्त में पत्र
व्यवहार कुआ हो तो पत्र प्रजांक एवं दिवांक
अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : गूलीबर्सिली
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 5064

दिनांक: १६.६.१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध कॉलेज ऑफ नर्सिंग साइंसेज, झांसी रोड, ग्वालियर (0751-2472661) को
सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस-टी. नर्सिंग पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु
अनुरूपता एवं प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय
अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)

(2) प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, आचार्य, भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) प्रो. रेणुका दास, प्राचार्य, कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कैंसर पहाड़ी, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर
शुल्क, घरेहर राशि, चार्टिस शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था एवं प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, ब्रीड़ परिसर एवं
पाठ्यक्रम/आईडीएन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ ली
नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने
के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति लंगोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करें। समिति संयोजक से विवेदज है
कि वे उक्त विधीनिरूप भूमय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा
करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गव्हर्नर का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देई के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना
आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो
जावेगी और पुब्लिक निरीक्षण समिति गव्हर्नर हेतु गहाविद्यालय को दण्ड स्वल्प रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण
समिति का पुरुंगठन किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए गिना जाने को प्रवेश देवा अद्याविक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यस्थल अधीक्षक, कार्यालय सहायक प्रावाली लेकर जार्यों द्वाया महाविद्यालय की
वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मार्केय महाविद्यालय द्वाया देव
होगा।

Amrit
कुलसंचिव

प्रतिलिपि :-

- समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण
दिवांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
- कुलाधिसंचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के संविव / कुलसंचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

GPW
उप. कुलसंचिव (सम्बद्धता)